

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी -3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर
क्रमांक:- एफ 15 () सा.वि./म.क./सान्याअवि/25-26/ई फाईल न. 02992 जयपुर दिनांक :-यथा ई हस्ताक्षरित

आदेश

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 10(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अधिसूचित नियम 2004 के नियम 6 के उपनियम (1) के अन्तर्गत सम्पूर्ण राज्य में दहेज प्रतिषेध से संबंधित कार्य के लिए अतिरिक्त निदेशक (सामाजिक विकास), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यावास को मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त/पदाभिहित किया जाता है।

उक्तानुसार मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 एवं नियम 2004 के नियम 6 में उल्लेखित कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(आशीष मोदी)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ 15 () सा.वि./म.क./सान्याअवि/25-26/ई फाईल न. 02992 जयपुर दिनांक :-यथा ई हस्ताक्षरित
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि राज0 जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग राजस्थान जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सान्याअवि राज0 जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव समस्त विभाग राजस्थान जयपुर।
7. महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर।
8. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट..... समस्त।
9. पुलिस आयुक्त/उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक, राजस्थान पुलिस.....समस्त।



10. अतिरिक्त निदेशक (सामाजिक विकास) एवं मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यावास ।
11. संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....समस्त ।
12. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है ।
13. सहायक निदेशक (प्रचार), मुख्यावास ।
14. आदेश पत्रावली ।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव